

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद-मैनपुरी।
संख्या ८११५१ / जि०का०अधि० / आ०बा०स्था० / विज्ञप्ति / 2025-26 दिनांक 14, नवम्बर, 2025
विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/ 2025/ 3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत संचालित 10 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु निदेशालय स्तर से विकसित किये गये विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विकासखण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आ०बा० सहायिका के रिक्त पदों की सं०	आ०बा० सहायिका के रिक्त पदों का विवरण आरक्षण श्रेणीवार		
			UR	OBC	SC/ST
1	2	3	4	5	6
1	बरनाहल	36	13	13	10
2	बेवर	78	42	18	18
3	जागीर	16	8	4	4
4	घिरोर	32	17	8	7
5	करहल	62	32	13	17
6	किशनी	39	17	11	11
7	कुरावली	30	20	5	5
8	मैनपुरी शहर	14	7	4	3
9	मैनपुरी देहात	47	25	14	8
10	सुल्तानगंज	26	14	7	5
	योग	380	195	97	88

1. आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडियट या उसके समकक्ष होगी। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
2. आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी (आयु के सम्बन्ध में कटऑफ डेट 01.07.2025 के आधार पर होगी)। हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
3. उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के न मिलने पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जायेगी।
4. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
5. उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
6. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
7. चयन की कार्यवाही हेतु वरीयता क्रम का फ्लो चार्ट निम्नवत् होगा:-
गरीबी रेखा से नीचे की (BPL)→विधवा→विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता→अन्य बी०पी०एल० महिला
गरीबी रेखा से ऊपर की (APL)→विधवा→विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता→अन्य ए०पी०एल० महिला

8. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
 9. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
 10. आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएगी। जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
 11. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14.11.2025 से प्रारम्भ होकर अन्तिम तिथि दिनांक 06.12.2025 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
 12. एक से अधिक केन्द्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य नहीं होंगे। एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
 13. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।
- नोट :- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

14/11/2025
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जनपद-मैनपुरी।

(विज्ञापन के लिये नहीं)

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/चयन समिति अध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को शासकीय दरों पर एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद मैनपुरी।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-मैनपुरी।
7. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जनपद-मैनपुरी।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद-मैनपुरी।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद-मैनपुरी।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जनपद-मैनपुरी।